राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–373 / 2023

शिवराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर।
4. भवानी सिंह, भू अभिलेख निरीक्षक, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री कुलदीप सिंह पूनिया, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी ने संशोधित अपील में यह अभिकथन किया है कि अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को तहसील आमेर, जयपुर से अपीलार्थी के स्थान पर हरमाडा, जयपुर में पदस्थापित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–2) के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को अन्यत्र कहीं भी पदस्थापित / स्थानांतरित नहीं किया गया है। बिना स्थानांतरण आदेश के ही उसको कार्यमुक्त किया गया है एवं उसे पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम–25'क' के प्रावधानों के विपरीत है।

4. उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी के स्थान पर उसको पदस्थापित किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 30.04.2023 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है तथा अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति में तीन माह का समय ही शेष है। अतः उक्त आधारों पर आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1 व 2) निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।
5. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया कि राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अंतर्गत अपने आदेश करने के विवेकाधिकार का उपयोग हेतु सक्षम है। अपीलार्थी किसी विशेष स्थान पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं रखता है। प्रशसनिक आवश्यकताओं के लिए किए जाने वाले कार्यमुक्ति/स्थानान्तरण/आदेशों की प्रतीक्षा के आदेशों पर कोई स्थानान्तरण नीति प्रभावकारी नहीं होती।
6. उनका तर्क है कि अपीलार्थी को जयपुर जिले में ही 15 किमी दूरी पर ही स्थानान्तरित किया गया है तथा इस स्थानान्तरण से अपीलार्थी का कोष कार्यालय परिवर्तित नहीं होता है। अतः सेवानिवृत्ति अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का आधार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।
7. निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का आदेश दिनांक 14.01.2023 के जरिए हरमाडा से आमेर में स्थानांतरण किया गया एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को हरमाडा में पदस्थापित किया गया, जहॉ उसने कार्यग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी को जयपुर जिले में ही रखा गया है, ऐसे में आलोच्य आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।
8. निजी प्रत्यर्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी हरमाडा जयपुर में कार्यरत था तब उसके विरूद्ध नियम–16 सीसीए के तहत चार्जशीट दी गई थी, ऐसे में अपीलार्थी को हरमाडा से हटाए जाने के आदेश को गलत नहीं माना जा सकता। उनका तर्क है कि हरमाडा में कार्यरत रहते हुए उसने गलत रूप से नामान्तरण किया था और अपने पद का दुरूपयोग किया था। इस कारण से उसे चार्जशीट दी गई थी। अतः प्रशासनिक दृष्टि से अपीलार्थी को हरमाडा में कार्यरत होने का कोई औचित्य नहीं है।
9. उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी पूर्व में हरमाडा में कार्यरत रहा है और दिनांक 03.02.2020 को वहां कार्यरत रहते हुए निजी प्रत्यर्थी को राजकीय कार्य में लापरवाही बरतने और अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीन रहने के कारण निलम्बित

किया गया था। अब निजी प्रत्यर्थी को पुनः उसी स्थान पर लगाया जाना गलत है, जहां पर वह पूर्व में कार्यरत रहते हुए निलम्बित हो चुका है।

10. हमने दोनें पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

11. अपीलार्थी भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर हरमाडा जयपुर में वर्ष 2020 से कार्यरत है एवं आलोच्य आदेश से हरमाडा जयपुर में निजी प्रत्यर्थी को लगाया गया है। आलोच्य दिनांक 14.01.2023 के जरिए अपीलार्थी को कहीं भी पदस्थापित नहीं किया गया है, केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी को हरमाडा जयपुर में स्थानांतरित किया गया है। यह भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थी को हरमाडा जयपुर में कार्यरत रहने के दौरान नियम–16 सीसीए में चार्जशीट जारी की गई थी। साथ ही यह भी प्रकट हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी को भी हरमाडा में कार्यरत रहने के दौरान निलम्बित किया गया था।

12. अतः उपर्युक्त तथ्य एंव परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी व निजी प्रत्यर्थी के संबंध में नये सिरे से स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश जारी करे। प्रत्यर्थी विभाग को दोनों कार्मिकों के संबंध में स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश पारित करने के लिए 2 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है।

13. उपर्युक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)